(5)

फैक्स/महत्त्वपूर्ण
संख्या- 46/छः-पु0-15/2023

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

DIG (P/G)

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

ADG/GSD
19.1.23

गृह (पुलिस) अनुभाग- 15 लखनऊः दिनाँक- 19 जनवरी, 2023

विषयः जनसूचना से सम्बन्धित ऑनलाइन वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के पत्र संख्या-73/चौंतीस-लो0शि0 5/2023 दिनांक- 13.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु https://rtionline.up.gov.in वेब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अतः, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु https://rtionline.up.gov.in वेब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

PIO

संलग्नकः यथोक्त।

D.I.G.(P.G.),
DGP, HQ
..., Lucknow
20-1-23

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

XIV

जन सूचना अधिकारी
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
21-01-23

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

XIV

(जनसूचना अधिकारी
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
...
20/01/23

227/पीजीएस/सीएम/2023

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या 73/चौंतीस-लो०शि०-5/2023

दिनांक 13/01/2023

RTI ऑनलाइन

मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं तथा उन्हें यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

2- विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वैब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जनसूचना से सम्बन्धित ऑनलाइन वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

4- पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं:-

- विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराया जाए।
- अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (PIOs) को निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनों का उत्तर/सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रूप में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए-

  "उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वैब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव
गृह, गोपन, बीजा पासपोर्ट एवं सतर्कता विभाग, उ०प्र० शासन

13.01.2022
(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उ०प्र० शासन।

(बी०डी० पाल्सन)
सचिव
गृह विभाग
उ०प्र० शासन

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संख्या- /चौंतीस/ लो०शि०अनुभाग-5/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आदि पर विभाग के आधिकारिक ऐकाउन्ट निर्मित कर प्रदेश की नई पीढ़ी के मध्य ऑनलाइन RTI के वैब पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

(वी० के० सिंह)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उ० प्र० शासन

13.01.2022
(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव
गृह विभाग
उ०प्र० शासन।

अनुस्मारक
फैक्स / महत्वपूर्ण
संख्या- 50(1)/ छः-पु0-15/2023

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 लखनऊः दिनाँक 24 जनवरी, 2023

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों हेतु विकसित किये गये वेब पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग- 02, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0- सी0एम0-01/43-2-2023, दिनाँक- 16.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को आनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु विकसित किये गये वेब पोर्टल http://rtionline.up.gov.in की समय-समय पर की गयी समीक्षा में यह पाया गया है कि नागरिकों द्वारा अधिकांश मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन/प्रथम अपील किये जाने के कारण विकसित किये वेब पोर्टल का उद्देश्य पूर्ण नही हो पा रहा है। नागरिकों को पोर्टल की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु वेब पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में अपने लोक प्राधिकरणों में नामित जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करने के निर्देश प्राप्त हुए है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों के उत्तर में इस बात का उल्लेख अवश्य करे कि "उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को आनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किये जाने हेतु एक वेब पोर्टल http://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

2- अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0- 273(1)/6-पु0-15/2022, दिनाँक- 25.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु पूर्व में आपको पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

3. अतः, इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या - /6-पु0-15/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग- 02, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0- सी0एम0-01/43-2-2023, दिनाँक- 16.01.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

ADG/G.S.O., DGP Hqrs, U.P. 25-1-2023

D.I.G.(P.G.), DGP, HQ U.P., Lucknow 25.01.2023

जन सूचना अधिकारी
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
31-01-23

पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ 29/01/23

संख्या- सी०एम०-01 /43-2-2023

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2023

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों हेतु विकसित किए गए वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का नागरिकों द्वारा अधिक से अधिक उपयोग किए जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र संख्या- 73/चौंतीस-लो0शि0-5/2023, दिनांक 13 जनवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) तथा प्रशासनिक सुधार अनु०-2 के पत्र संख्या- सी०एम०- 09/43-2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। वेब पोर्टल पर राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालय ऑनलाईन हो गए हैं। विकसित किए गए पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों की समय-समय पर की गई समीक्षा में यह पाया गया कि नागरिकों द्वारा अधिकांश मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन/प्रथम अपील की जा रही है जिसके कारण विकसित किए गए वेब पोर्टल का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिकों को आर०टी०आई० ऑनलाइन वेब पोर्टल की समुचित जानकारी नहीं है। नागरिकों को पोर्टल की जानकारी उपलब्ध कराए जाने हेतु वेब पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

3- आर०टी०आई० ऑनलाइन वेब पोर्टल के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों द्वारा विभिन्न उपयोगों हेतु बनाए जाने वाले कागजात यथा-राशन कार्ड, अस्पताल की रोगी पर्ची आदि में आर०टी०आई० ऑनलाइन वेब पोर्टल के निर्देश मुद्रित हों जिससे जन साधारण को यह जानकारी सुगमता से पहुंच सके। इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड, अस्पताल, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों में एवं साप्ताहिक बाजार, हाट स्थलों पर आर०टी०आई० ऑनलाइन वेब पोर्टल के प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग/पोस्टर लगाने से भी सहायता मिलेगी। शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी आर०टी०आई० ऑनलाइन वेब पोर्टल से संबंधित परिचर्चा, व्याख्यान, कार्यशाला आदि का आयोजन कराया जाए।

4- प्रत्येक विभाग अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों के उत्तर में इस बात का अवश्य उल्लेख करें कि **"उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"**

कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

Signed by के0 रविन्द्र नायक
6-01-2023 15:07:17
Reason: Approved